न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- सविता शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :- 266 (नया) 122/2021 (पुराना)

GCMS NO. ....

नत्थूराम पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी ढाणी मुरलीराम वाली तन भामागढ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज0)

वादी

– बनाम –

1. महेन्द्र पुत्र गोकल
2. महिपाल पुत्र गोकल
3. सतवीर पुत्र गोकल
   जाति जाट निवासी ढाणी पेमाकाली तन् कालोटा तहसील खेतडी जिला झुंझुनू (राज0)
4. चुकी पुत्री गोकल पत्नी सहीराम निवासी ढाणी निराणकाली ग्राम सेफरागुवार तहसील खेतडी जिला झुंझुनू (राज0) **(मृतक)**
   4/1 सुमन पुत्री चुकी
   4/2 राजपाल डुडी पुत्र चुकी
   निवासी ढाणी निराणकाली ग्राम सेफरागुंवार तहसील खेतडी जिला झुंझुनू (राज0)
5. मणि पुत्री गोकल पत्नी मानसिह जाति जाट निवासी ढाणी डुडा की तन् चिचडोली तहसील खेतडी जिला झुंझुनू (राज0)
6. शाति पुत्री गोकल पत्नी बनवारी निवासी मेहरिया की ढाणी तन् नोरंगपुरा तहसील खेतडी जिला झुंझुनू (राज0)
7. सन्तोष पुत्री गोकल पत्नी कजोड निवासी मु.पो.दडिया (दुडिया) गुडा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज0)
8. सुमित्रा पुत्री गोकल पत्नी प्रेम निवासी डुडा की ढाणी तन् चिचडोली तहसील खेतडी जिला झुंझुनू (राज0)
9. उप पंजीयक खेतडी जिला झुंझुनू (राज0)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज0)

.... प्रतिवादीगण

दावा – अधिकार घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955
व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थित :-

1. श्री रामनरेश सिंह सैनी — अभिभाषक — वादी
2. श्री गिरधारीलाल सैनी — अभिभाषक — प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 से 8

3/7/24

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

-: निर्णय :- दिनांक :- 03.07.2024

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री का निर्णय दिनांक 05.01.2024 को इस आशय का पारित किया गया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2002 के आधार पर वाके **ग्राम कालोटा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या 47 के हाल खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.15 हेक्टेयर सम्पूर्ण से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, मृतका प्रतिवादी संख्या 4 का व मृतका नारायणी देवी पत्नी स्व0 गोकल का नाम हजफ कर इनके स्थान पर वादी को एकांकी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतडी को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे वादी के हक अधिकार के खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.15 हेक्टेयर स्थित ग्राम कालोटा में किसी भी प्रकार से बाधा कारित नहीं करें। प्रतिवादी संख्या 2 ने खसरा नम्बर 1329 पर अनुचित तरीके से बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई के यहां से ऋण लिया है, जो कानूनी तौर पर प्रथम दृष्ट्या निष्प्रभावी होने योग्य है। अतः तहसीलदार खेतडी को आदेश दिया जाता है कि वह भूमि खसरा नम्बर 1329 का ऋण प्रतिवादी संख्या 2 की इसी खाता संख्या 47 की अन्य खातेदारी भूमि पर रखे/स्थानान्तरित करें। बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई को यह अधिकार होगा कि वह खसरा नम्बर 1329 के प्रतिवादी संख्या 2 के ऋण की वसूली प्रतिवादी संख्या 2 की आदेश में वर्णित अन्य कृषि भूमि से करे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

वादी द्वारा दिनांक 28.03.2024 को अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 का इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2024 में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का नाम हजफ करने का आदेश नहीं दिया गया। इस कारण निर्णय दिनांक 05.01.2024 की पालना नहीं हो रही है। प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 59/2024 उनवानी नत्थुराम बनाम महेन्द्र आदि दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 को रजि0 डाक से उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना दी गई। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 की ओर से श्री गिरधारीलाल सैनी एड. उपस्थित आये। बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् व निर्णय दिनांक 05.01.2024 का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2024 में लिपिकीय त्रुटि होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया सहिता 1908 स्वीकार कर पुनः निर्णय दिया जाता है कि :-

-: संशोधित आदेश :-

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2002 के आधार पर वाके **ग्राम कालोटा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या 47 के हाल खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.15 हेक्टेयर सम्पूर्ण से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, मृतका प्रतिवादी संख्या 4 का व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का तथा मृतका नारायणी देवी पत्नी स्व0 गोकल का नाम हजफ कर इनके स्थान पर वादी को एकांकी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे वादी के हक अधिकार के खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.15 हेक्टेयर स्थित ग्राम कालोटा में किसी भी प्रकार से बाधा कारित नहीं करें। प्रतिवादी

3/7/24

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

संख्या 2 ने खसरा नम्बर 1329 पर अनुचित तरीके से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई के यहां से ऋण लिया है, जो कानूनी तौर पर प्रथम दृष्ट्या निष्प्रभावी होने योग्य है। अतः तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह भूमि खसरा नम्बर 1329 का ऋण प्रतिवादी संख्या 2 की इसी खाता संख्या 47 की अन्य खातेदारी भूमि पर रखे/स्थानान्तरित करें। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई को यह अधिकार होगा कि वह खसरा नम्बर 1329 के प्रतिवादी संख्या 2 के ऋण की वसूली प्रतिवादी संख्या 2 की आदेश में वर्णित अन्य कृषि भूमि से करे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **03.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/7/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

वाद में डिक्री (अन्तिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी :– सविता शर्मा, आर.ए.एस.

नत्थुराम पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी ढ़ाणी मुरलीदास वाली तन् माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

...............वादी

– बनाम –

1. महेन्द्र पुत्र गोकल
2. महिपाल पुत्र गोकल
3. सतवीर पुत्र गोकल
   जाति जाट निवासी ढ़ाणी पेमाकाली तन् कालोटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
4. चुकी पुत्री गोकल पत्नी सहीराम निवासी ढ़ाणी निराणकाली ग्राम सेफरागुंवार तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0) **(मृतक)**
   4/1. सुमन पुत्री चुकी
   4/2. राजपाल डुडी पुत्र चुकी
   निवासी ढ़ाणी निराणकाली ग्राम सेफरागुंवार तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
5. मणि पुत्री गोकल पत्नी मानसिह जाति जाट निवासी ढ़ाणी डुडा की तन् चिचड़ोली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
6. शांति पुत्री गोकल पत्नी बनवारी निवासी मेहरिया की ढ़ाणी तन् नोरंगपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
7. सन्तोष पुत्री गोकल पत्नी कजोड़ निवासी मु.पो.दडिया (दुड़िया) गुड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)
8. सुमित्रा पुत्री गोकल पत्नी प्रेम निवासी डुडा की ढ़ाणी तन् चिचड़ोली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
9. उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– अधिकार घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

मुकदमा नम्बर :– 166.........(नया) 122/2021 (पुराना)
GCMS NO. .... (नया) **2021/600** (पुराना)
निर्णय दिनांक :– 03.07.2024

3/7/24

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

वादी की ओर से **श्री रामनरेश सिंह सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 से 8 ओर से **श्री गिरधारीलाल सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.07.2024 को **सविता शर्मा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी** के समक्ष **अन्तिम** निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :

"वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.06.2002 के आधार पर वाके **ग्राम कालोटा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या 47 के हाल खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.15 हेक्टेयर सम्पूर्ण से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, मृतका प्रतिवादी संख्या 4 का व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 का तथा मृतका नारायणी देवी पत्नी स्व0 गोकल का नाम हजफ कर इनके स्थान पर वादी को एकांकी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतडी को आदेश दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे वादी के हक अधिकार के खसरा नम्बर 1329 रकबा 0.15 हेक्टेयर स्थित ग्राम कालोटा में किसी भी प्रकार से बाधा कारित नहीं करें। प्रतिवादी संख्या 2 ने खसरा नम्बर 1329 पर अनुचित तरीके से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई के यहां से ऋण लिया है, जो कानूनी तौर पर प्रथम दृष्ट्या निष्प्रभावी होने योग्य है। अतः तहसीलदार खेतडी को आदेश दिया जाता है कि वह भूमि खसरा नम्बर 1329 का ऋण प्रतिवादी संख्या 2 की इसी खाता संख्या 47 की अन्य खातेदारी भूमि पर रखे/स्थानान्तरित करें। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बबाई को यह अधिकार होगा कि वह खसरा नम्बर 1329 के प्रतिवादी संख्या 2 के ऋण की वसूली प्रतिवादी संख्या 2 की आदेश में वर्णित अन्य कृषि भूमि से करे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **03.07.2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

3/7/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतडी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी